अध्याय-1

प्रारम्भिक

Chapter-I

Preliminary

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और प्रसार— (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1. Short title, commencement and extent.— (1) This Act may be called the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. परिभाषायें— जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(क) ''शीर्ष सोसाइटी'' से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसका प्रमुख उद्देश्य उससे संबद्ध अन्य सोसाइटियों के कार्य संचालन के लिए सुविधाएं देना है और जिसके कार्यक्षेत्र का प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है;

(ख) ''सहकारी सोसाइटी का कार्यक्षेत्र'' से उपविधियों में यथाविनिर्दिष्ट ऐसा भौगोलिक क्षेत्र अभिप्रेत है जिस तक सोसाइटी की सदस्यता और कार्यकलाप साधारणत: सीमित हैं;

(ग) ''उपविधियाँ'' से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई और

तत्समय प्रवृत्त किसी सोसाइटी की उपविधियाँ अभिप्रेत हैं और इनके अन्तर्गत ऐसी उपविधियों के रजिस्ट्रीकृत संशोधन भी हैं;

(घ) ''केन्द्रीय सोसाइटी'' से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसका कार्यक्षेत्र किसी राजस्व जिले से अन्यून राज्य के किसी भाग तक सीमित है और जिसका अपने मुख्य उद्देश्यों में, प्रमुख उद्देश्यों का संप्रवर्तन करना और उससे संबद्ध अन्य सोसाइटियों के प्रवर्तन के लिए सुविधाओं का उपबंध करना है और जिसके कम से कम पांच सदस्य स्वयं सोसाइटियाँ हैं;

(ङ) ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी'' से ऐसा व्यक्ति, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये, अभिप्रेत है जिसे समिति के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अध्यधीन रहते हुए सोसाइटी का प्रबंध सौंपा जाता है;

(च) ''प्रमुख उद्देश्य'' से किसी सहकारी सोसाइटी के संबंध में, सोसाइटी के ऐसे मुख्य उद्देश्य अभिप्रेत हैं जिनके लिए उसका गठन किया गया है; और जो नियमों के अनुसार उसके वर्गीकरण के आधार हैं;

(छ) ''कलक्टर'' से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 20 के अधीन नियुक्त किसी जिले का कलक्टर अभिप्रेत है;

(ज) ''समिति'' से किसी सहकारी सोसाइटी का ऐसा शासी निकाय, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये, अभिप्रेत है जिसे सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध सौंपा जाता है;

(झ) ''सहकारी सोसाइटी'' या ''सोसाइटी'' से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई सोसाइटी अभिप्रेत है;

(ञ) ''परिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी'' से ऐसी सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसमें सोसाइटी के परिसमापन की दशा में, उसके ऋणों के लिए उसके सदस्यों का दायित्व उसकी उपविधियों द्वारा निम्नलिखित तक परिसीमित है :-

(i) ऐसी रकम तक, यदि कोई हो, जो उनमें से प्रत्येक द्वारा धारित शेयरों पर असंदत्त है, और

(ii) ऐसी रकम तक, जो सदस्यों द्वारा अभिदत्त शेयर पूँजी की रकम की पाँच गुनी से अधिक न हो और जिसका उनमें से प्रत्येक सोसाइटी की आस्तियों के प्रति अभिदाय करने के लिए वचन दे;

(ट) ''अपरिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी'' से ऐसी सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है

जिसके सदस्य उसके परिसमापन की दशा में, उसकी बाध्यताओं के लिए और उनके संबंध में और सोसाइटी की आस्तियों में किसी भी कमी के प्रति अभिदाय करने के लिए संयुक्तत: और पृथक्त: दायी हैं;

(ठ) ''कार्यपालक अधिकारी'' से ऐसा अधिकारी, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये, अभिप्रेत है जो किसी सोसाइटी के कार्यकलापों के प्रबंध में समिति के अधीक्षण, नियंत्रण एवं निदेशों के अध्यधीन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता के लिए धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त किया जाता है;

(ड) ''कुटुम्ब'' से पति और पत्नी और उन पर आश्रित सन्तानें और पति की विधवा माता, जो उन पर आश्रित हो, से मिलकर बनने वाला कुटुम्ब अभिप्रेत है;

(ढ) ''वित्तीय बैंक'' से तात्पर्य ऐसी सहकारी सोसाइटी से है, जिसका मुख्य उद्देश्य अन्य सोसाइटियों को धन उधार देना है तथा जिसमें भूमि विकास बैंक सम्मिलित है;

(ण) ''सरकार'' से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(त) ''सदस्य'' से किसी सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में सम्मिलित कोई व्यक्ति, और ऐसे रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् इस अधिनियम और नियमों तथा उपविधियों के अनुसार सदस्य बनाया जाने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई नाममात्र का और सहयुक्त सदस्य भी है;

(थ) ''अधिकारी'' से किसी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रशासक, समापक या कोई सदस्य और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत किसी सहकारी सोसाइटी के कारबार के संबंध में निदेश देने के लिए नियमों और उपविधियों के अधीन सशक्त कोई अन्य व्यक्ति भी है;

(द) ''प्राथमिक सोसाइटी'' से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जो न तो शीर्ष सोसाइटी है न केन्द्रीय सोसाइटी;

(ध) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(न) ''रजिस्ट्रार'' से इस अधिनियम के अधीन सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति भी है जब वह रजिस्ट्रार की समस्त या उनमें से किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग करता है;

(प) ''राजस्व अपील प्राधिकारी'' से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का

अधिनियम सं. 15) की धारा 20-क के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में नियुक्त या पदाभिहित अधिकारी अभिप्रेत है;

(फ) ''नियम'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;

(ब) ''विशेष संकल्प'' से किसी सोसाइटी के साधारण निकाय का ऐसा संकल्प अभिप्रेत है जिसे, मत देने का अधिकार रखने वाले सदस्यों के पचास प्रतिशत से अधिक और बैठक, जिसमें उसे पारित किया गया है, में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त है;

(भ) ''स्वसाहाय्य समूह'' से व्यक्तियों का उनके उपार्जन से अल्प रकम की बचत करने के लिए और उसके सदस्यों को ऐसे निबंधनों पर, जो परस्पर करार पाये जायें, उधार दिये जाने हेतु उधार लेने के लिए भी स्वेच्छा से बनाया गया सजातीय समूह अभिप्रेत है;

(म) ''अधिकरण'' से धारा 105 के अधीन गठित अधिकरण अभिप्रेत है;

(य) ''कमजोर वर्ग'' से ऐसे भूमिहीन कृषि-श्रमिक, ग्रामीण कारीगर, सीमान्त कृषक, लघु कृषक और आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो राज्य सरकार द्वारा, उनकी जोत के आकार, आय और ऐसे विभिन्न इलाकों को, जिनमें राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम सं. 11) के अधीन अधिकतम सीमा अवधारित करने के प्रयोजनार्थ, राज्य को विभाजित किया जाता है, ध्यान में रखते हुए राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें;

(र) ''वर्ष'' से बारह मास की ऐसी कालावधि अभिप्रेत है जो किसी सहकारी सोसाइटी के लेखे रखने के लिए विहित की जाये।

2. Definitions.— In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "apex society" means a society whose core object is to provide facilities for the operation of other societies affiliated to it and whose area of operation extends to the whole of the State of Rajasthan;

(b) "area of operation of a co-operative society" means the geographical area, as specified in the bye-laws, to which the membership and activities of the society are confined in general;

(c) "bye-laws" means the bye-laws of a society, registered or deemed to be registered under this Act and for the time being in force and includes the

registered amendments of such bye-laws;

(d) "central society" means a society whose area of operation is confined to a part of the State not being less than a revenue district and which has in its main objects the promotion of the core objects of, and the provision of facilities for the operations of, other societies affiliated to it; and not less than five members of which are societies themselves;

(e) "chief executive officer" means a person, by whatever name called, who subject to the superintendence, control and directions of the committee, is entrusted with the management of the society;

(f) "core objects" in relation to a co-operative society means the main objects of the society for which it is formed; and which form the basis of its classification as per the rules;

(g) "collector" means the Collector of a district, appointed under section 20 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956);

(h) "committee" means the governing body of a co-operative society, by whatever name called, to which the management of the affairs of the society is entrusted;

(i) "co-operative society" or "society" means society registered or deemed to be registered under this act;

(j) "co-operative society with limited liability" means a co-operative society, in which the liability of its members for the debts of the society in the event of its being wound up is limited by its bye-laws,—

(i) to the amount, if any, unpaid on the shares respectively held by them, and

(ii) to such amount not more than five times the amount of the share capital subscribed by the members, which they may respectively undertake to contribute to the assets of the society;

(k) "co-operative society with unlimited liability" means a co-operative society

the members of which are, in the event of its being wound up, jointly and severally liable for, and in respect of, its obligations and to contribute to any deficit in the assets of the society;

(l) "executive officer" means an officer, by whatever name called, who is appointed under sub-section (2) of section 29 to assist the Chief Executive Officer in the management of the affairs of a society subject to the superintendence, control and directions of the committee;

(m) "family" means a family consisting of a husband and wife, and their dependent children and the widowed mother of the husband dependent on them;

(n) "financing bank" means a co-operative society, the main object of which is to lend money to other societies and includes a Land Development Bank;

(o) "government" means the Government of the State of Rajasthan;

(p) "member" means a person joining in the application for the registration of a co-operative society and a person admitted to membership after such registration in accordance with this Act and the rules and the bye-laws and includes a nominal and an associate member;

(q) "officer" means the Chairperson, Vice-chairperson, Administrator, Liquidator, or a member of a committee and the Chief Executive Officer, by whatever name called, and includes any other person empowered under the rules and the bye-laws to give directions in regard to the business of a co-operative society;

(r) "primary society" means a society which is neither an apex society nor a central society;

(s) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;

(t) "registrar" means a person appointed to perform the functions of the Registrar of co-operative societies under this Act, and includes any person

appointed to assist the Registrar when exercising all or any of the powers of the Registrar;

(u) "revenue appellate authority" means the officer appointed or designated as such authority under section 20A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956);

(v) "rules" means the rules made under this Act;

(w) "special resolution" means a resolution of the general body of a society which has the approval of more than fifty per cent of the members having right to vote and not less than two-third of the members present and voting at the meeting in which it is passed;

(x) "self help group" means a homogeneous group of persons voluntarily formed to save small amounts of their earnings and also to raise loans to be lent to its members on terms, as mutually agreed upon;

(y) "tribunal" means the tribunal constituted under section 105;

(z) "weaker sections" means such landless agricultural labourers, rural artisans, marginal farmers, small farmers and other economically and socially backward persons as the State Government may, by order published in the Official Gazette, specify, having regard to the size of their holding, income and the various zones into which the State is divided for the purpose of determining the ceiling limits under the Rajasthan imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 (Act No. 11 of 1973);

(za) "year" means such period of twelve months as may be prescribed for keeping the accounts of a co-operative society.

❑ ❑